

मांग पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd द्वारा रायपुर जिले के रायपुर वन मंडल अंतर्गत लिब्दा विकासखण्ड के ग्राम बिगाडी में मैजोनि (एक्सक्लुसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन के कुल 4.00 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत अपरिवर्तित किया जाना है।

अतः हमारे द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक एक लिस्ट एक लिस्ट क्रमांक 1 के अनुसार मांग पत्र प्रस्तुत है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(Signature)

Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur

वनस्पतिकाधी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

४

आवेदक संस्थान से पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 35000/- डी.डी. कमांक 359251 दिनांक 04.02.2015 द्वारा इस कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

दिनांक 16.02.2015 है।

आवेदक गलक औधल कापरेशन लिमिटेड, बिलासपुर द्वारा रायपुर वनमण्डल, रायपुर परिक्षेत्र, वन खण्ड बिलाडी के कक्ष कमांक 41 में 4.00 हे. आरक्षित वन भूमि पर एकसंख्योसिध गौदम निर्माण संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 10.07.2017 को भाल हुआ है एवं इस प्रस्ताव का पंजीयन कमांक 2015/011

// वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत नवीन प्रस्ताव की अभिस्वीकृति हेतु प्रमाण-पत्र //

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरुण भवन, मंडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - यू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: ccilm_cg@yahoo.com

कमांक/यू-प्रबंध/विधि/115-555/44/

रायपुर, दिनांक 16/02/2015

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर जल, रायपुर

छत्तीसगढ़

विषय:-

रायपुर जिले के रायपुर वन मंडल अंतर्गत लिन्दा विकासखण्ड के ग्राम भेलाडी गुवावा में सैन्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन के 4.00 हे. वन भूमि सेसर्स गल्फ आर्डील कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर को उपयोग पर देने के लिए पूर्वीयन वाबद प्रस्ताव।

संदर्भ:-

सेसर्स गल्फ आर्डील, कार्पोरेशन लि. का पत्र दिनांक 05.02.2015

विद्यमान आदेशनकाली, सेसर्स गल्फ आर्डील कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर द्वारा रायपुर जिले के रायपुर वन मंडल अंतर्गत लिन्दा विकासखण्ड के ग्राम भेलाडी में सैन्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन 4.00 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु अपवर्तन प्रस्ताव, वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्ताव का पूर्वीयन कमांक / 2015 / 011 आर्बिट्रिय किया जाता है।
आवेदन वन भूमि के Geo-Co-Ordinates के आधार पर अपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आस-पास के न्यूनतम 10 कि.मी. तक का "वनस्थिति मानचित्र" वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल, रायपुर से प्राप्त कर-प्रस्ताव नवीन वन विकास प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है।
वृक्षारोपण योजना के साथ 4 प्रतिशत में इस कार्यालय को अधिकतम 60 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रस्ताव की Monitoring पूर्वीयन दिनांक से मुख्यालय द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।
2. कार्यालयीन पत्र प. कमांक/यू-प्रबंध/विधि/115-43/1510 दिनांक 07.07.2011 द्वारा जारी नवीन वन विकास अधिनियम 2006 तहत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र कमांक/यू-प्रबंध/खनिज/331-29/2092 दिनांक 06.12.2013 द्वारा प्रेषित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
4. प्रपत्र "एक" वन मंडलाधिकारी एवं प्रपत्र "बी" मुख्य वन संरक्षक वेब साइट पर अपलोड कर प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. डी.जी.पी.एस सर्वे आवेदक विभाग कारवाकर, Shape File के साथ प्रस्तुत करें, प्रस्ताव में पूर्वीयन एवं प्रसंस्करण शुरू की राशि वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल के पी.डी. खाते में जमा होने की अनिवार्यता: पुरि करनी आपका व्यक्तिगत दायित्व होगा।
7. इनकी पूर्व अनुमति तथा कब से Renewal नहीं हुआ है उसका विवरण दर्शाते।
प्रतिवेदन प्रस्ताव मूलतः गैर-डी.डी. +
अद्यावत तक लिस्ट

प. कमांक/यू-प्रबंध/विधि/115-555/44/2
प्रतिवेदन सूचनाएं एवं आवेदक का प्रस्ताव हेतु:
1. वन संरक्षक, वन प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय, रायपुर।
2. वन मंडलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. स्थानीय वन मंडल, बिलासपुर, बिलासपुर - 495001, छत्तीसगढ़।
वर्तमान में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।
अ.प्र.मु.व.स (यू-प्रबंध/व.स.अ)
छत्तीसगढ़

प. कमांक/यू-प्रबंध/विधि/115-555/44/2
प्रतिवेदन सूचनाएं एवं आवेदक का प्रस्ताव हेतु:
1. वन संरक्षक, वन प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय, रायपुर।
2. वन मंडलाधिकारी, रायपुर वन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. स्थानीय वन मंडल, बिलासपुर, बिलासपुर - 495001, छत्तीसगढ़।
वर्तमान में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।
अ.प्र.मु.व.स (यू-प्रबंध/व.स.अ)
छत्तीसगढ़



સાચું (મ.મ.)
સાચું સાબીત
જી વા સંસ્થાકોષી

2

સાચું સાબીત, સાચું
જી વા સંસ્થાકોષી

Authorised Signatory
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur (C.G.)

R.K. Singh

S.No.	Name of Village	Tehsil	Compartement No./Khasra No.	Area (In Hect.)
1.	Biladi	Tilda	Nil	Nil

Details of Non-Forest Land

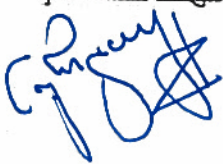
S.No.	Name of Village	Tehsil	Compartement No./Khasra No.	Area (In Hect.)
1.	Biladi	Tilda	41	4.000

Details of Forest Land

गैर वन क्षेत्र विवरण,

आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur



गैर वन क्षेत्र विवरण,
आवश्यकता नहीं है।

गैर वन क्षेत्र विवरण,
आवश्यकता नहीं है।

FORM-IV

From for seeking prior approval under section 2 of the proposal by the State Governments and other authorities.

1. Project details :	I. Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.
II. Map showing the required forest area, boundary of adjoining forest and item-wise break-up of the required forest area for different purpose (to be authenticated by an officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests).	III. Total cost of the project.
IV. Justification for locating the project in the forest area giving alternatives examined and reasons for their rejection.	V. Financial and social benefits.
VI. Employment generated.	2. Location of the project/scheme:
I. State/Union territory.	II. District.
III. Forest Division, Forest Block, Compartment etc.	3. Item-wise break-up of the total land required for the project /scheme along with its Existing land use.
Forest Land - 4,000 hect.	Forest Land - 4,000 hect.
Revenue Forest Land - Nil.	Revenue Forest Land - Nil.
a. Total Forest Land - 4,000 hect.	a. Total Forest Land - 4,000 hect.
b. Govt. Land - Nil	b. Govt. Land - Nil
c. Private Land - Nil	c. Private Land - Nil
Total Land (a+b+c) - 4,000 hect.	Total Land (a+b+c) - 4,000 hect.

"M/s Gulf Oil Corporation Ltd.", Magazines at Tilda, Village- Biladi for storage of explosives and accessories and as per required of the mines in C.G.

Enclosed

Rs. 90 Lacs

To storage of explosives and accessories and as per required of the mines in C.G.

Attached Project Report

5000 Labor Man-days and 25 permanent staff for whole project.

Chhattisgarh

Raipur

Raipur Forest Division

R.K. Singh

Authorised Signatory

Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.

Bilaspur (C.G.)

2/15/2

5. Details of displacement of people due to the project: I. Total number of families involved in displacement Nil II. Number of Scheduled Caste/Scheduled tribe families involved in displacement Nil III. Detailed rehabilitation plan. Nil	
4. Details of forest land involved : I. Legal status of the forest (namely, reserve, protected/ in classed etc.) the area. II. Details of flora and fauna existing in the area. III. Density of vegetation. IV. Species-wise and diameter class wise abstract of trees. V. Vulnerability of the forest area to erosion, whether it forms a part of a seriously eroded area or not. VI. Whether it forms a part of national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve, etc and if so, details of the area involved. (Specific comments of the Chief Wildlife warden to be annexed) VII. Item-wise break-up of the forest land required for the project/scheme for different purposes. VIII. Rare endangered species of flora and fauna found in the area. IX. Whether it is a habitat for migrating fauna or forms a breeding ground for	4.00 Hectares for project Aegle Marmelos, Terminalia Tomentosa, Acacia, Butea Monosperma, Madhuca Indica, Terminalia Belleirica, Terminalia Chebula, Diospyros Melaroxylon etc.. No, trees are to felled 1 0 to 0.2 It does not form a part of a seriously eroded area. No VI. Whether it forms a part of national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve, etc and if so, details of the area involved. (Specific comments of the Chief Wildlife warden to be annexed) VII. Item-wise break-up of the forest land required for the project/scheme for different purposes. VIII. Rare endangered species of flora and fauna found in the area. IX. Whether it is a habitat for migrating fauna or forms a breeding ground for No Forest Land - 4,000 hect. Revenue Forest Land - Nil Total Forest Land - 4,000 hect

7. Details regarding Transmission Lines (only for transmission Line Proposal) I. Total length of the Transmission Line. II. Length passing through forest area III. Right of way. IV. Number of Towers to be erected. V. Numbers of Towers to be erected in forest area. VI. Height of transmission Towers.	8. Details of irrigation Hydel Project (only for irrigation/Hydel Project)
6. Details of compensatory afforestation scheme I. Details of non-forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch. II. Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries. III. Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. IV. Total financial outlay for compensatory afforestation scheme V. Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation for afforestation and from management point of view. (To be signed by an officer not below the rank of deputy conservator of forests)	4.00 Hectares of Land is offered in District Bemetara, Durg Division 24.00 Lacs (Approx.) Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed

Handwritten signature

2/10/20

9. Details regarding Road/Railway Lines (Only for Road/Railway proposal) I. Length and width of the strip and forest area required. II. Total Length of the road. III. Length of the road already constructed.	Nil Nil
I. Total catchment area. II. Total command area III. Full reservoir Level. IV. High Flood Level. V. Minimum Drawal Level. VI. Break-up area falling in catchment area of the project, (Forest land, cultivated land, pasture land, human cultivation, others) VII. Area of submergence at high flood level. VIII. Area of submergence at full Reservoir level. IX. Area of submergence at 2 metre below full Reservoir Level. X. Area of submergence at 4 metre below full Reservoir Level (For Medium and major projects only). XI. Area of submergence at high flood level. XII. Area of submergence at full Reservoir level. XIII. Area of submergence at 2 metre below full Reservoir Level. XIV. Area of submergence at 4 metre below full Reservoir Level (For Medium and major projects only). XV. Area of submergence at minimum Drawal Level. XVI. Detailed catchment outlays and details regarding availability of funds for Catchment area treatment Plant.	N/A N/A

IV. Length of the road passing through the forest,

10. Details regarding mining proposal (Only for mining proposal)

I. Total mining lease area and forest required.

II. Period of mining lease proposed.

III. Estimated reserve of each mineral/ore in the forest area and in the non-forest area.

IV. Annual estimated production of mineral/ore.

V. Nature of mining operation (open cast / underground)

VI. Phased reclamation plan.

VII. Gradient of the area where mining would be undertaken.

VIII. Copy of the Lease Deed (to be attached only for renewal purposes)

IX. Number of laborers to be employed.

Area of forest land required for:

a) Mining

b) Storing mineral/ore;

c) Dumping of overburden.

d) Storing tools and machinery.

e) Construction of building power stations, workshop, etc.

I) Township/Housing colony.

g) Construction of road/ropeway/railway lines.

h) Full land use plan of forest area required.

X. Reasons why any of the activities, referred to in (a) to (h) above under the project for which forestland has been asked for cannot be undertaken / located outside forest area.

XI. The extent of damage likely to be caused and the number of trees affected on account of mining and related activities.

-----N/A-----

Handwritten signature

	XII. Distance of the mining area from perennial water courses national and State highway, national parks, sanctuaries and biosphere reserves. XIII. Procedure for stocking of the topsoil for reuse. XIV. Extent of subsidence expected in underground mining operations and its impact on water, forest and other vegetation.	----N/A----	11. Cost-benefit analysis.	----NO----	12. Whether clearance from environmental angle is required (Yes/No) If Yes, Whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No)	----NO----	13. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes / No) If Yes, I. Details of the same including date of commencement. II. Officers responsible for violation of the Act. III. Action taken/being taken against erring officers. IV. Whether work in violation of the Act is still in progress.	Not Applicable	14. Any other information.	Enclosed	15. Details of Certificates/ documents enclosed		16. Detailed opinion of the Chief Conservator of Forest/Head of the Forest Department concerned covering the following aspects,
--	--	-------------	-----------------------------------	-------------------	--	-------------------	---	----------------	-----------------------------------	----------	--	--	--

[Handwritten signature]

Certified that all other alternatives for the purpose have been explored and other demand for the required area is the minimum demand for forest land.

namely: I. Out-turn of timber, fuel wood and other forest produce from the forest land involved. II. Whether the district is self-sufficient in timber and fuel wood, and III. The effect of the proposal on a) Fuel wood supply to rural population b) Economy and livelihood of the tribal and backward communities. IV. Specific recommendations of the chief Conservator of Forests/Head of the forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with reasons thereof.	
---	--


 R.K. Singh
 Authorised Signatory
 Sales Manager
 Gulf Oil Corporation Ltd.
 Bilaspur (C.G.)


 श्री वन महोदय,
 राज्य उपवनोदय
 राज्य (छ.ग.)


 श्री मुख्याधिकारी,
 विद्युत वनमंडल, रायपुर



GULF OIL CORPORATION LTD.
Flat No. D-202, 11nd Floor, Shri Sai Parisar, Behind Shri Sai Manglam,
Shrikant Verma Marg, Vyapar Vihar, Bilaspur 495001 (C.G.)
Ph. No. : 07752-262426, CIN No. L24292TG1961PLC000876
E-mail : bilaspur@idilind.com, rakeshkumarsingh@idilind.com

श्री साई पर पैरिसर

We take this opportunity to introduce ourselves as the leasing and renowned
manufacture industrial explosives serving explosives industry. Since more than four decades
with its quality product.

Our commercial explosive Division is country's Largest explosives and detonators
manufacturing facilities (8 plants) around India its Hyderabad plant is the largest detonators
facility in the world (192 million per annum) the cartridge explosives are manufactured as
Rourlela.

We have magazines at Tilde, Village- Biladi For storage of explosives and accessories
and as per required of the mines in C.G

Storage and dispatches is don as per prescribed rules and regulation of PESO, Govt. of
India, explosives department. More over we never manufactured any explosive in the proposed
area not we plan to do the same. We can use magazine only for storage and dispatch to mines
requirement as per prescribed rules and regulation of PESO Govt. Of India explosive
department.

Authorized Signatory
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur(C.G)

वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd के मैजिन (एक्सलॉसिव गोदम) हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग/भारत सरकार जो भी राशि निर्धारित करेगी, उसे Gulf Oil Corporation Ltd द्वारा प्रदत्त की जावेगी। जिसका संस्थान की ओर से वचन-पत्र देता है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वन वन संरक्षिकाएँ
राष्ट्रिय उपवनसंरक्षक
राष्ट्रिय (क.रा.)



वनमण्डल अधिकारी
राष्ट्रिय उपवनसंरक्षक, राष्ट्रिय
राष्ट्रिय वनसंरक्षक, राष्ट्रिय



न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd द्वारा प्रकरण में मांग की गई भूमि न्यूनतम है। इस संबंध में सभी अनुकूल्य/विकल्पों का पता लगा लिया गया है। अपेक्षित कार्य हेतु वनभूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वनसमूहलाहिकारी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर



उप वन सहायिका
रायपुर उपवनसंरक्षक
रायपुर (छ.ग.)



पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd के मैनेजर (एक्सकोसिव मोदम) निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवेदित स्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है। केवल मजदूरों का कार्य किया जाता है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वृक्ष विदेहन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित वन भूमि अपवर्तन, क्षेत्र 4.00 हे. में किसी भी वृक्ष की कटाई नहीं की जायेगी।
अतः विदेहन विवरण निरंक माना जाये।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वन मण्डलाधिकारी,
बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर

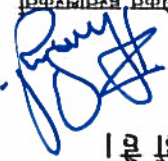
उप वन मंडलाधिकारी
बिलासपुर उपवनमंडल
बिलासपुर (छ.प्र.)



कास्ट/बेनफिट एनालिसिस

वृक्षों का विवेचन/कटाई निरंक है। अतः आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.

Bilaspur

अन सुकलाधिकारी,
राज्य वनमंडल, रायपुर

अन वन सुकलाधिकारी
राज्य वनमंडल
रायपुर (छ.रा.)



व्यक्ति गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि/राजस्व वन क्षेत्र संलग्न पत्र से
अधिसूचना मध्य नक्शा

वनभूमि को अतिरिक्त अन्य कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur



उप वन अधिकारी
रायपुर उपवनाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)



अन्य अधिकारी
अन्य अधिकारी
अन्य अधिकारी



गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा

वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता


Sales Manager
 Gulf Oil Corporation Ltd.
 Bilaspur

वन मंडलाधिकारी,
 वनभवन, रायपुर


उप वन मंडलाधिकारी
 रायपुर उपवर्गक्षेत्र
 रायपुर (छ.ग.)

2

અધિકૃત દસ્તાવેજી
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur



સંભવ ।

સ્થાન વિશેષ વૈકલ્પિક વૃદ્ધારોપણ યોજના

डॉ. वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.)

वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.)

आवश्यक कार्यवाही हेतु उल्लिखित।

3. सेल्स मैनेजर, जल्फ आईल कॉर्पोरेशन लि., फ्लैट नं. डी-202 द्वितीय तल, बिलासपुर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजा रहा।
2. वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.), रायपुर वनमंडल, रायपुर, की ओर सूचनाएं 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन आपकी ओर 1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर एवं रायपुर की ओर सूचनाएं सौंपी गई।

प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 24/07/2017

पृ.क./आ.वि./1892

डॉ. वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.)

वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख एवं परियोजना प्रतिवेदन।

सादर सौंपित है।

युकी है। 04.00 है 0 अंश पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आपकी ओर अतः अंश का अधिपत्र प्राप्त किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में इसकी प्रविष्टि भी करायी जा वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया था तथा अंश आरक्षित वन के समीप अवस्थित है। प्रत्युत किया गया है। उक्त अंश का सत्यापन पूर्व में उपवनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.) के द्वारा अतः अंश का सत्यापन किया गया है। जिसके प्रमाण स्वरूप राजस्व अभिलेख नवशा-रवशा बी-1 की प्रति संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 07.07.2017 के द्वारा अंश 04.00 है 0 को छ.प्र. शासन वन विभाग, दुर्ग की स्वेच्छा से शासन के हित में बिलासपुर द्वारा अतः अंश का सत्यापन करवाया गया है कि न्याय तदनुसार बेतरी के द्वारा राजस्व प्रकरण क/01 वर्ष 2016-17 विभागगत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री आर. के. सिंग, सेल्स मैनेजर, जल्फ आईल कॉर्पोरेशन लि.,

—00—

दिनांक 24.07.2017

क/GOCL/DFO/DURG/41, दिनांक 24.07.2017 एवं क/GOCL/DFO/DURG/42,

संदर्भ:- जल्फ आईल कॉर्पोरेशन लि., फ्लैट नं. डी-202 द्वितीय तल, बिलासपुर का पत्र विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये 04 है. अंश प्रदाय करने हेतु।

दुर्ग वन, दुर्ग

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),

प्रति,

दुर्ग, दिनांक 24/07/2017

कमा/आ.वि./1891

कार्यालय: फोन एवं फैक्स नं. 0788-2327531 ई-मेल: dfo-durg.cgov.in

पांच बिन्दु, जल रोड दुर्ग

कार्यालय वनमंडल, दुर्ग (छ.प्र.)

LEADS

ገጽ ፩ - ፪ ገጽ ፫ ገጽ ፬ ገጽ ፭ ገጽ ፮

अवधि :-	3x3	प्रमाण :-	300.00 प्रति प्रति
लक्षित :-	खोले धोखा (निराश्रित)	प्रमाण :-	4.00 प्रति प्रति
धोखा को संख्या :-	4400	प्रमाण :-	640.00 प्रति प्रति
अवधि :-	प्रमाण :-	प्रमाण :-	प्रमाण :-

2017-18

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	विपणन स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मापदंडों एवं प्रभावित विपणितों के लिए कार्य	4.000	300.00	1200.00
2	रस्तीकरण कार्य - 3X3 से मी. अंतराल से बीज, बीजान, बज्ज, गुडो	4400.000	1050.00	4620.00
3	कृषि कार्य :-			
	अ) कालेबारी तार कृषि (बवाई 800 मी.)			
	1. सीमेंट कृषि तार मजदूरी 20 मी. बवाई 3X3 मी. के अंतराल पर मजदूरी 10 पर 1 रस्ती तार	256	218.52	51570.72
	2. कालेबारी मजदूरी	448.000	77.88	34890.24
	3. सीमेंट तार एवं वायव्य तार से कृषि तार (मजदूरी मात्र)	640.000	75.00	48000.00
	4. 1:3:6 सीमेंट कोकलिट हेतु सामग्री का		0.25 मा.दि./र.मी.	
	236 0.037			
	अ) सीमेंट	38.683	308.00	11914.29
	ब) 20 पर.एम. मिट्टी	7.859	1348.00	10593.66
	स) रेत	3.93	385.00	1512.82
4	क्षेत्र की संफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य	4.000	1500.00	6000.00
5	मिट्टी की खदान कार्य	4360	900.00	3924.00
	मिट्टी खदान कार्य - 0.30X0.30X0.30 मी. खदान करी 40		3 मी.दि./र.मी.	
	मिट्टी खदान कार्य 0.30X0.30X0.30 मी. खदान करी 40	40	322.30	12892.80
	खानि की खदान कार्य 0.30X0.30X0.30 मी. खदान करी 40	40	322.30	12892.80

1	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	180.00	0.8 म.दि./सै.	7920.00
2	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4840	6.82	प्रति बीघा	33008.80
3	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	3.30	प्रति बीघा	14520.00
4	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	495.00	1.65 म.दि./सै.	21780.00
5	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	114.95	प्रति कि.ग्रा.	5057.80
6	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	11.32	प्रति कि.ग्रा.	2490.40
7	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	9.32	प्रति कि.ग्रा.	2050.40
8	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	10.29	प्रति कि.ग्रा.	9055.20
9	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	605.00	प्रति कि.ग्रा.	2420.00
10	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	360.00	प्रति कि.ग्रा.	15840.00
11	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	1.20 म.दि./सै.	प्रति कि.ग्रा.	15600.00
12	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	240	प्रति म.दि.	15600.00
13	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	1350.00	प्रति कि.ग्रा.	5400.00
14	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	300000.00	प्रति कि.ग्रा.	1200000.00
15	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	2754.00	प्रति कि.ग्रा.	11306.71
16	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	4.000	प्रति कि.ग्रा.	1636607.94
17	गड़दी में निम्नलिखित एवं खाद का निम्नलिखित मात्रा	गड़दी	4400	4.000	प्रति कि.ग्रा.	1636607.94

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग :-
1	निर्वाह गुहाई कार्य, अंतराल 3x3 मी.	4.00	3960.00	15840.00
2	जीविक रसायनिक खाद का प्रयोग	4.00	2970.00	11880.00
3	पुख्ता 12 मी. (एक प्रत्येक सीमेंट के माध्यम से)	4.00	23400.00	93600.00
4	निर्वाह 6 मी. सीमेंट का एवं निर्वाह निरंतर मेलन	4.00	4254.00	17016.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय, अतिरिक्त पुख्ता, फोर्सिंग मरम्मत इत्यादि	4.00	1237.00	4948.00
			L.S.	143284.00

द्वितीय वर्ष 2019-20

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग :-
1	पुख्ता निर्वाह कार्य, एक मीटर खाद से प्रति एक सीमेंट की जांचगी	4400.00	360.00	15840.00
2	निर्वाह निर्वाह कार्य, एक मीटर खाद की जांचगी (मीटर गुहाई से) एक	4400.00	600.00	26400.00
3	पुख्ता निर्वाह कार्य, (मीटर निर्वाह से) खाद निर्वाह की जांचगी।	4400.00	360.00	15840.00
4	जीविक एवं रसायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग	4.00	6600.00	26400.00
5	पुख्ता 12 मी. (एक प्रत्येक सीमेंट के माध्यम से)	4.00	23400.00	93600.00
6	निर्वाह 6 मी. सीमेंट का एवं निर्वाह निरंतर मेलन	4.00	4000.00	16000.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय, निर्वाह निरंतर, फोर्सिंग मरम्मत आदि	4.00	2500.00	10000.00
			L.S.	204080.00

द्वितीय वर्ष 2018-19

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	पुष्पा 12 मी. (एक प्रत्येक सीढ़ी के माध्यम से)	4.00	9360.00	9360.00
2	विभाग 6 मी. चौड़ाई पर एक विभाग विवरण में देना	4.00	3120 मा.दि./दि.	37440.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय, अतिरिक्त पुष्पा, फीस नगरीय इत्यादि	4.00	1400.24	5600.96
			योग	13040.96

पुष्पा वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	पुष्पा 12 मी. (एक प्रत्येक सीढ़ी के माध्यम से)	4.00	16275.00	65100.00
2	विभाग 6 मी. चौड़ाई पर एक विभाग विवरण में देना	4.00	5000.00	20000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय, अतिरिक्त पुष्पा, फीस नगरीय इत्यादि	4.00	1427.00	5708.00
			योग	90808.00

पुष्पा वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	पुष्पा 12 मी. (एक प्रत्येक सीढ़ी के माध्यम से)	4.00	23400.00	93600.00
2	विभाग 6 मी. चौड़ाई पर एक विभाग विवरण में देना	4.00	5000.00	20000.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय, अतिरिक्त पुष्पा, फीस नगरीय इत्यादि	4.00	1500.00	6000.00
4	पुष्पा 12 मी. (एक प्रत्येक सीढ़ी के माध्यम से)	4.00	1427.00	5708.00
			योग	125308.00

पुष्पा वर्ष 2020-21

समाप्त वर्ष 2023-24

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	सूचना 12 माह (वर्ग प्रदान राशि के माध्यम से)	4.00	9360.00	37440.00
	हैदराबाद	31.20 मा.दि. / है.		
	योग :-			37440.00

अप्रैल वर्ष 2024-25

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	सूचना 12 माह (वर्ग प्रदान राशि के माध्यम से)	4.00	9360.00	37440.00
	हैदराबाद	31.20 मा.दि. / है.		
	योग :-			37440.00

मार्च वर्ष 2025-26

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	सूचना 12 माह (वर्ग प्रदान राशि के माध्यम से)	4.00	9360.00	37440.00
	हैदराबाद	31.20 मा.दि. / है.		
	योग :-			37440.00

द्वितीय वर्ष 2026-27

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	सूचना 12 माह (वर्ग प्रदान राशि के माध्यम से)	4.00	9360.00	37440.00
	हैदराबाद	31.20 मा.दि. / है.		
2	मार्च-अप्रैल	4.00	2000.00	8000.00
	योग :-			45440.00

उप वन मंडलाधिकारी
राजपुर उपमंडल
(व.म.)

उप मंडलाधिकारी,
राजपुर उपमंडल, राजपुर

उप मंडलाधिकारी
बेमौर

उप मंडलाधिकारी
बेमौर

उप मंडलाधिकारी
बेमौर

क्र.सं.	वर्ष	प्रति वर्ष	कुल
1	वर्ष 2017-18	4.000	1636607.04
2	वर्ष 2018-19	4.000	204080.00
3	वर्ष 2019-20	4.000	143284.00
4	वर्ष 2020-21	4.000	125308.00
5	वर्ष 2021-22	4.000	90808.00
6	वर्ष 2022-23	4.000	43040.96
7	वर्ष 2023-24	4.000	37440.00
8	वर्ष 2024-25	4.000	37440.00
9	वर्ष 2025-26	4.000	37440.00
10	वर्ष 2026-27	4.000	45440.00
	योग :-		2400888.00

बेमौर क्षेत्र का निवेदन

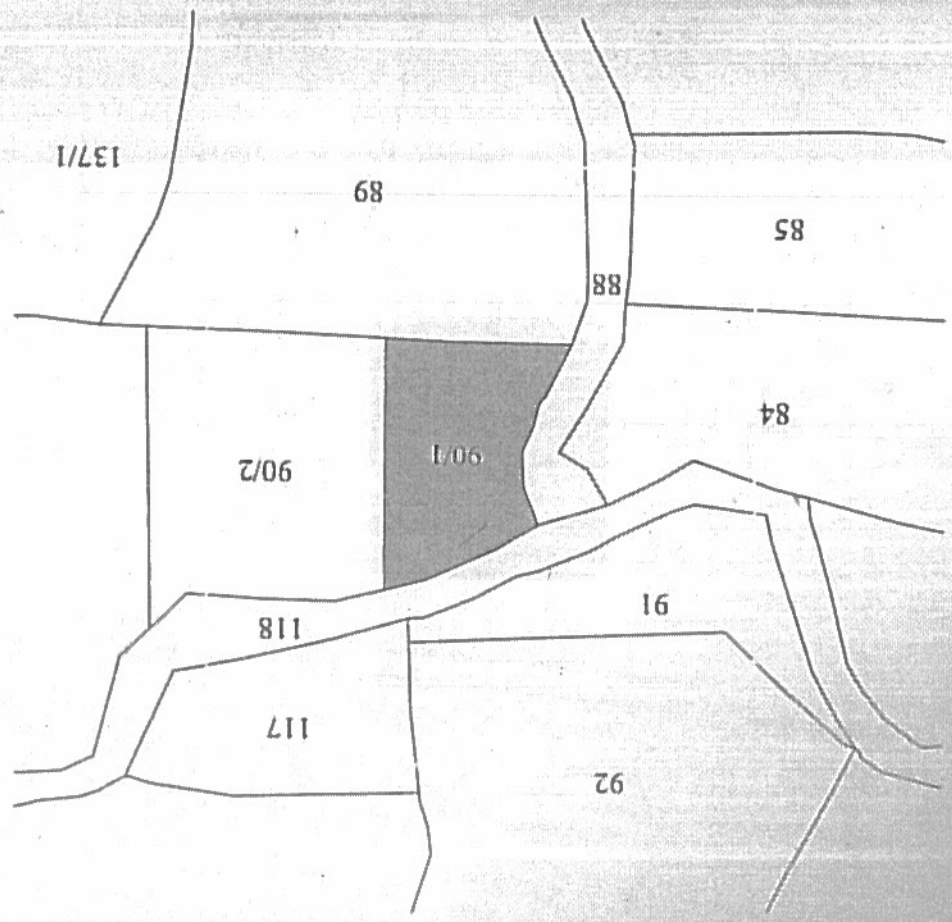
सर्वेक्षण संख्या 137/1

सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमाणित

खसरा नंबर : 90/1
 धारणाधिकार : मालिकाना - पूर्ण अधिकार
 रकबा : 0.8 हेक्टर
 स्थिति रकबा : ग.प.प.
 आंशिक रकबा : ग.प.प.
 नाम : वन विभाग छ.ग.वासन छ.ग. वन मण्डल
 पूर्ण मिला का नाम :
 पता :

मापमान 1:2000



यह : सर्वेक्षण संख्या 137/1 के अंतर्गत है : वन विभाग छ.ग.वासन छ.ग. वन मण्डल : वन विभाग

खसरा नक्शा

दिनांक : 22/07/2017 11:32:17 AM

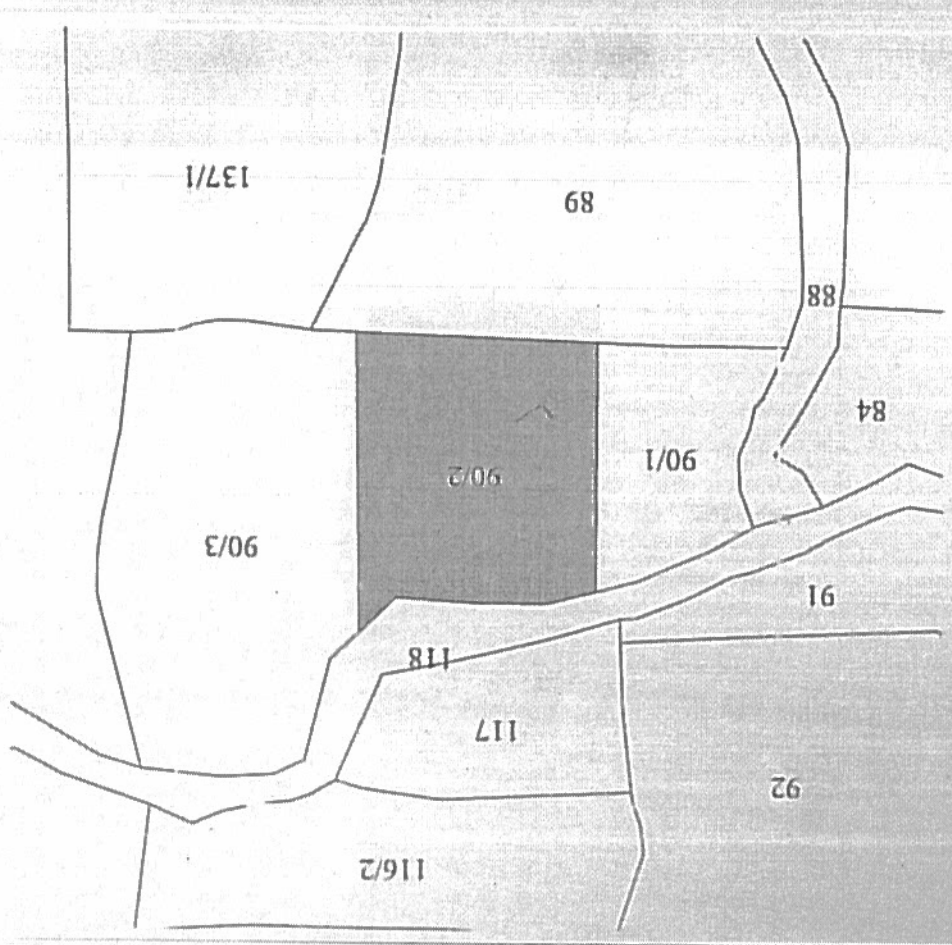
सर्वेक्षण नं. 137/1

सर्वेक्षण नं. 137/1

सर्वेक्षण नं. 137/1

खसरा नंबर : 90/2
 धारणाधिकार : प्रतिवर्षी - कृषि भूमि
 रकबा : 0.5 हेक्टर
 लिखित रकबा : 0.000
 आंशिक रकबा : 0.000
 गांव : वन विभाग छ.ग.शासन छ.ग. वन मंडल
 पूर्ण विवा का गांव :
 पत्ता :

मापमान 1:2000



सर्वेक्षण नं. 137/1

खसरा नक्शा

दिनांक : 22/07/2017 11:32:17 AM

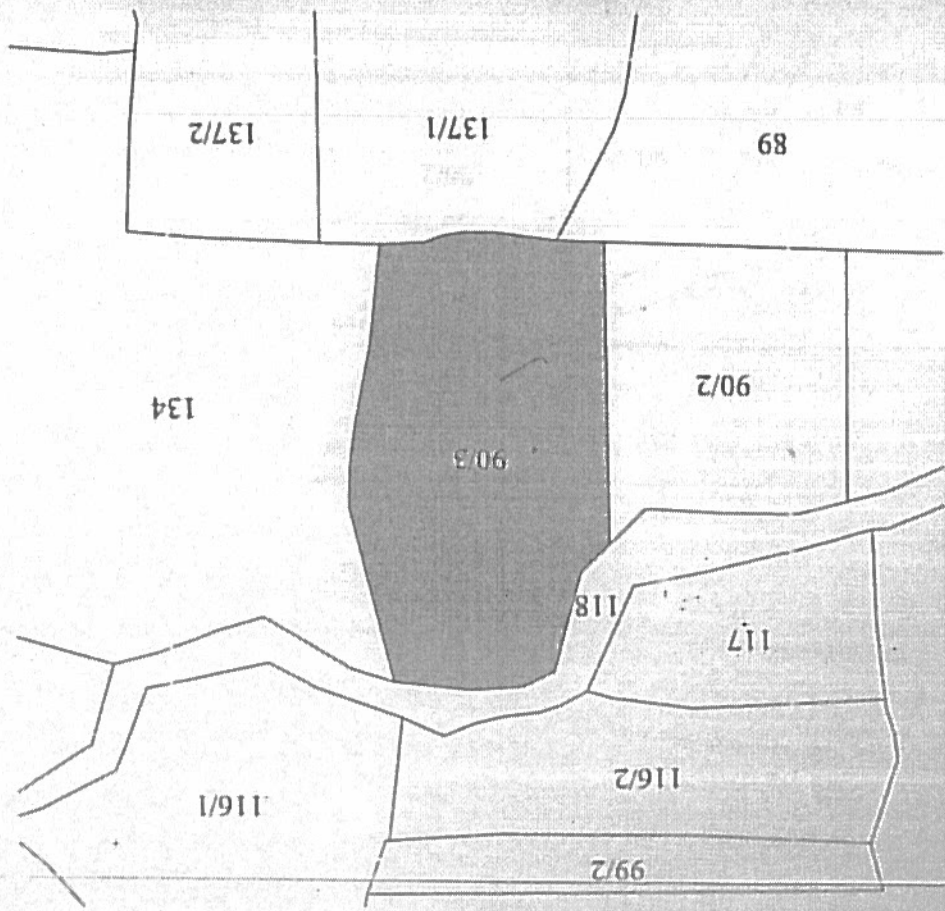
सहायक आयुक्त, जिला : बेतवा

सहायक आयुक्त के कार्यालय

बेतवा

खसरा नंबर : 90/3
 धारणाधिकार : प्रतिस्वामी - कृषि भूमि
 रकबा : 0.27 हेक्टर
 सिंचित रकबा : नुल
 आसिंचित रकबा : नुल
 नाम : वन विभाग उ.ग.शासन हॉ, वन मण्डल
 हॉ भिवा का नाम :
 पता :

मापमान 1:2000



ज.म. प्रस्तावित राजस्व निर्देशक मण्डल : बेतवा तहसील : बेतवा जिला : बेतवा

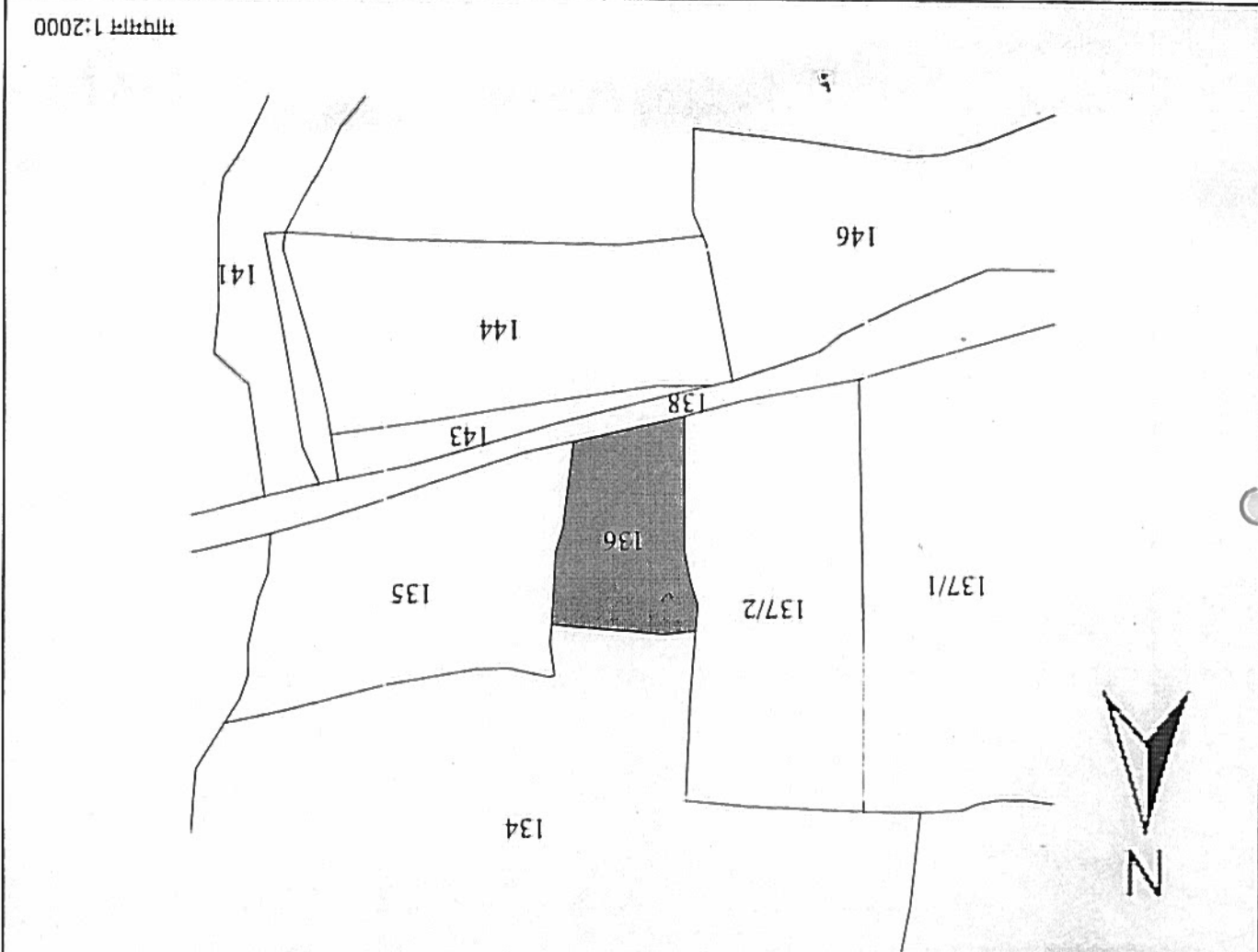
खसरा नक्शा

दिनांक : 22/07/2017 11:32:17 AM

दिनांक : 22/07/2017 11:32:15 AM

खसरा नक्शा

ग्राम : देवगढ़ तालुका : बरेली जिला : बरेली



खसरा नंबर : 136

रजिस्ट्रार : श्रीरामजी - कृषि मंत्री

रकबा : 0.2 हेक्टर

खसरा रकबा : null

खसरा रकबा : null

नाम : वन विभाग छ.ग.शासन दुरी, वन मंडल

दुरी विभाग का नाम :

पता :

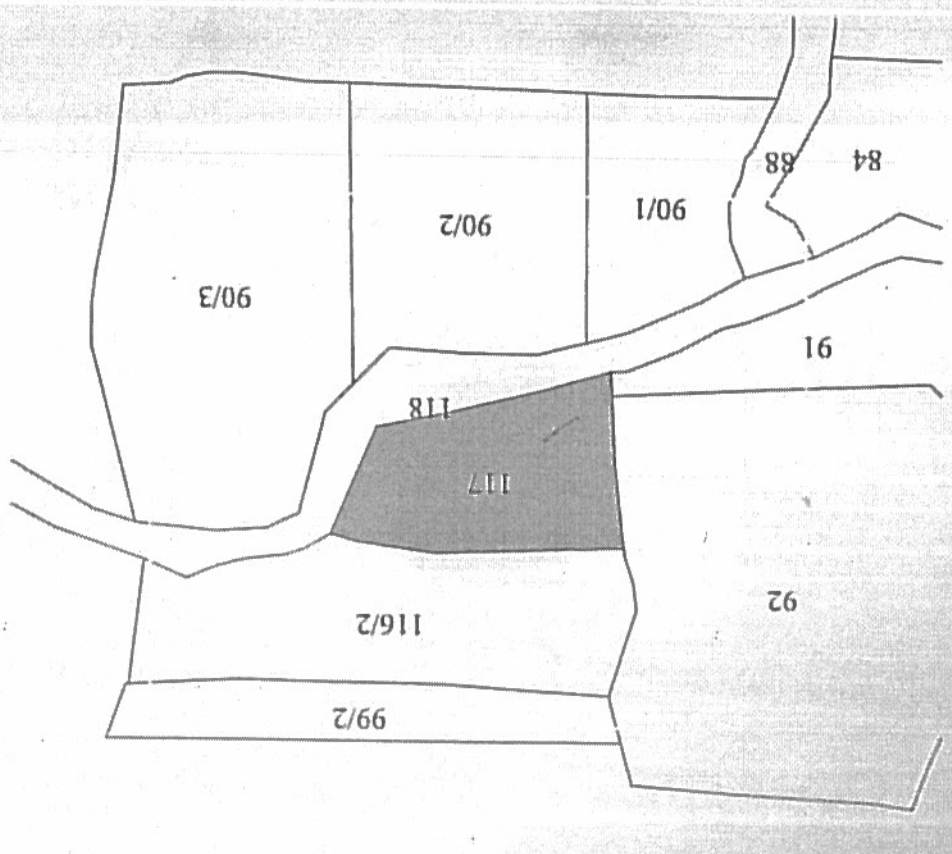
सहस्रकाली के तालाब

स पत्र

दिनांक : 22/07/2017 11:32:15 AM

खसरा नक्शा

ग्राम : बसवापुर तहसील : बेनीवाल जिला : बेनीवाल



मापमान 1:2000

खसरा नंबर : 117
 धारणाधिकार : ग्रामिण/श्री - बालि श्री
 रकबा : 0.7 हेक्टेयर
 सिंचित रकबा : 0.000
 बांझित रकबा : 0.000
 नाम : बंन विभाग छ.ग.शासन ग्राम, बंन मण्डल
 ग्राम पिका का नाम :
 पला :

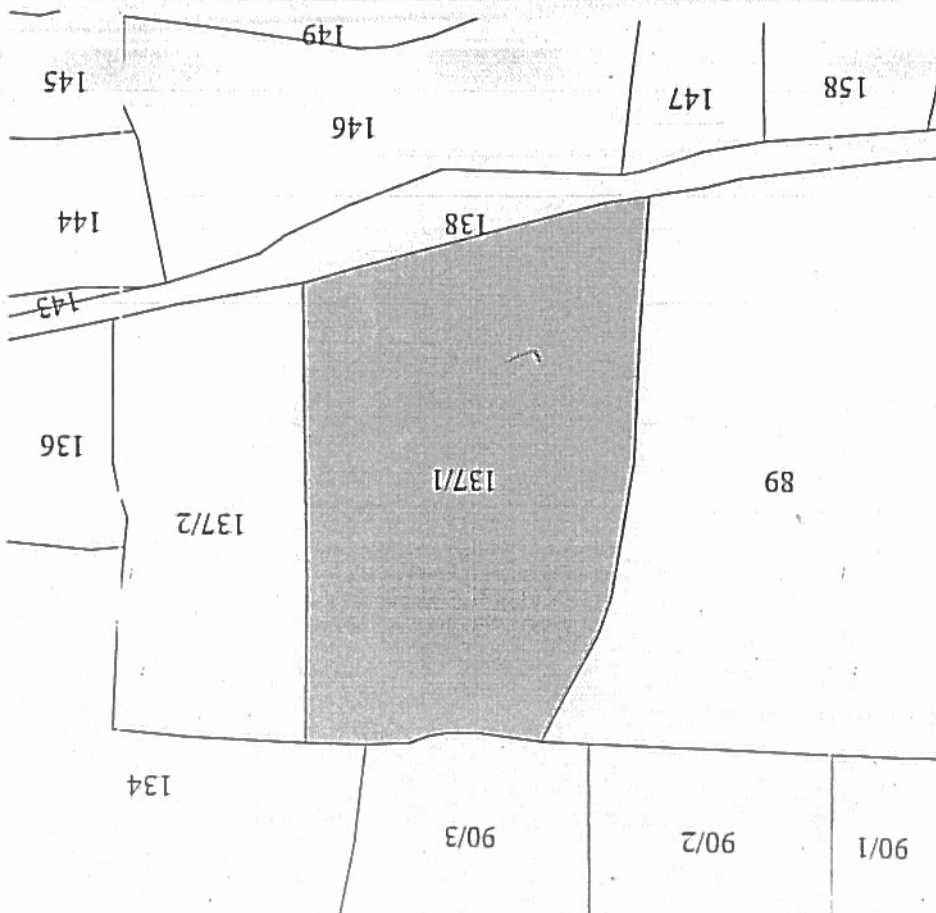
राज्य अधिकारी के हस्ताक्षर
 व पदमंडल

22/07/2017 11:32:15 AM

खसरा नक्शा

दिनांक : 22/07/2017 11:32:15 AM

ग्राम : उसलापुर राजस्व विरीक्षक मण्डल : बेमेतरा तहसील : बेमेतरा जिला : बेमेतरा



मापमान 1:2000

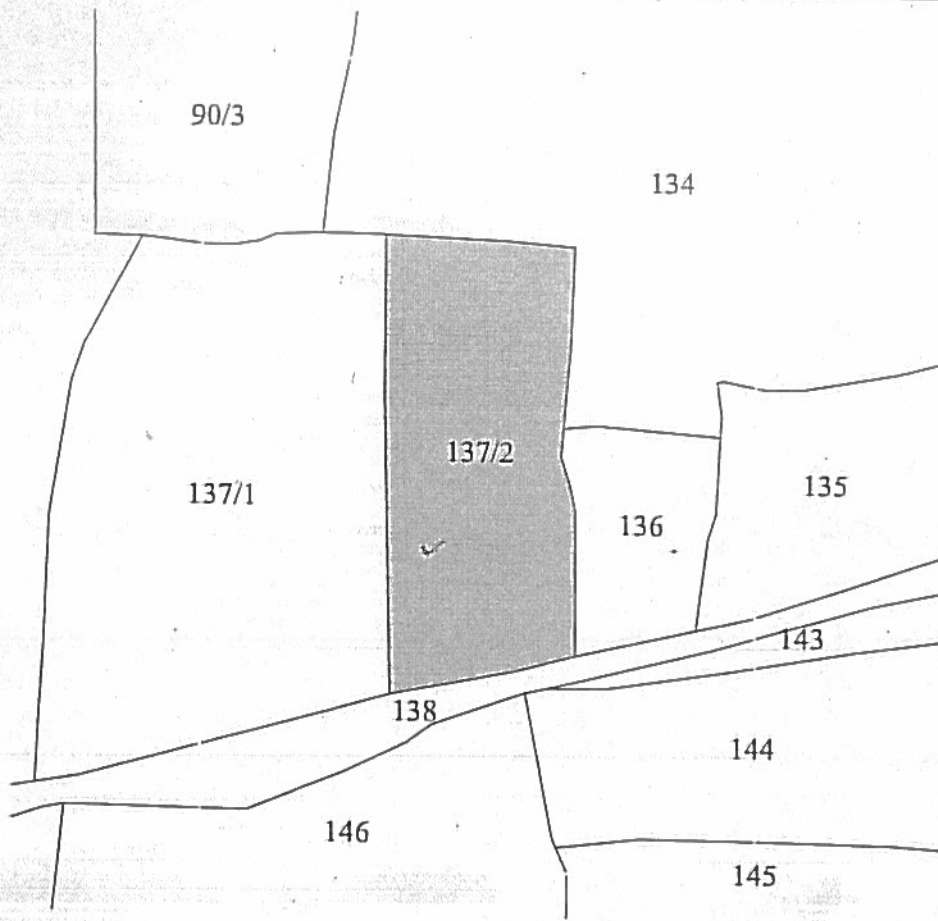
खसरा नंबर : 137/1
 धारणाधिकार : प्रतिस्वामी - कृषि भूमि
 रकबा : 1.23 हेक्टेयर
 सिंचित रकबा : null
 असिंचित रकबा : null
 नाम : वन विभाग छ.ग.शासन दुर्ग, वन मण्डल
 दुर्ग जिला का नाम :
 पता :

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
 प पदवि

खसरा नक्शा

दिनांक : 22/07/2017 11:32:15 AM

ग्राम : उसलापुर राजस्व निरीक्षक मण्डल : बेमेतरा तहसील : बेमेतरा जिला : बेमेतरा



मापमान 1:2000

खसरा नंबर : 137/2

धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि

रकबा : 0.7 हेक्टेयर

सिंचित रकबा : null

असिंचित रकबा : null

नाम : वन विभाग छ.ग.शासन दुर्ग, वन मण्डल

दुर्ग पिता का नाम :

पता :

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

महसिल कार्यालय, बेमेतरा

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, डूर्ग वनमंडल, डूर्ग (छ.प्र.)

कार्यालय: फ़ैसल बाग 0788-2327531, 2323686 ई-मेल: dfo-durg.cg@gov.in

पात लिखनीय, नील रंग में

आंक/आ.नि./ 6337-

डूर्ग, दिनांक/12/12/2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

रायपुर वनमंडल, रायपुर

विषय :-

वन और अभि अपवर्तन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वृक्षांश हेतु प्राप्त समुचित निजी और के स्थल सत्यापन

बाबत।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र./व.त.अ./श./5009 दिनांक 05.11.2016

—00—

विशालनाथ संदर्भित पत्र के आधार पर डीडियल जल्द ऑर्डर कॉपी, लि. को भौतिक जांच

निर्माण हेतु 04 है. वन और अभि अपवर्तन के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षांश हेतु

समुचित निजी और प्राप्त रायपुर, आर्य तथा उस्तापुर का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख

किशोरिया बाग 211 पत्र के साथ प्राप्त प्रशासन और के सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर उपवनमंडलाधिकारी क्षेत्र

द्वारा स्थल निरीक्षण कर पत्र क्र/810 दिनांक 02.12.2016 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उससे प्राप्त प्रतिवेदन

अतिरिक्त :-

ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा
उस्तापुर	90/1	0.800 है.
	90/3	0.270 है.
	90/2	0.500 है.
	117	0.300 है.
	137/1	1.230 है.
	132/2	0.900 है.
योग:-		4.00 है.

उपरोक्त स्थल को नल क्षेत्र से लगा होना तथा स्थित वृक्षांश के लिए उपयुक्त बताया गया है।
 अतः उपवनमंडलाधिकारी क्षेत्र के प्रतिवेदन पर सहमत जाकर करार हेतु प्रतिवेदन आवेदनक कार्यालय हेतु भेजता।

वनमंडलाधिकारी

डूर्ग वनमंडल, डूर्ग (छ.प्र.)

वन मंडलाधिकारी,
 रायपुर वनमंडल, रायपुर

वन मंडलाधिकारी
 रायपुर वनमंडल
 रा.प्र. (छ.प्र.)

राष्ट्रिय वनसंरक्षण, राष्‍ट्रिय

व‍नसंरक्षण विभाग

१

अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
रखते हुए उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य वन संरक्षण
अनुमति प्राप्त नहीं की गई, तथा उक्त आरक्षित वन भूमि को अपने पास
अधिनियम 1980 लागू होने के बाद राज्य/भारत सरकार से विधिवत
गोदाम का निर्माण किया गया। किन्तु संस्थान द्वारा वन संरक्षण
धी। लीज प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान द्वारा भूजिन रखे जाने हेतु
वन के कक्ष क्रमांक 11, 41 के अंतर्गत 4.000 है. भूमि लीज पर ली गई
आयल कार्पोरेशन द्वारा राष्ट्रिय जिले के लिस्ट विकासखण्ड के आरक्षित
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व वर्ष 1972... में गत्क

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण

राष्ट्रपति, नेशनल एकेडमी
नयी दिल्ली

५

शासन द्वारा वर्ष 1970 में गठित कार्यस्थल को वन
भूमि क्षेत्र पर दी गई थी। तभी अवधि व्यतीत होने के कारण क्षेत्र से
संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण अधिकारी/कर्मचारी
द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों
एवं कर्मचारियों का विवरण

राष्ट्रपति, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री

₹

है प्रस्तावित नहीं किया गया है।

अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने

कार्यवाही की गई है।

में देने संबंधी अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार

राष्ट्रपति कार्यालय का पत्रिका को वर्ष 1970 में वन भूमि को लीज

कार्यवाही

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित

Gulf Oil Corporation Ltd.
Sales Manager
Bilaspur

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

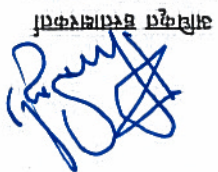
आवश्यकता नहीं है।

प्रमाण पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु और वनमौसि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का

कैचमेंट टीटमेंट प्लान

आवश्यकता नहीं है।



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur

रिक्लेमेशन प्लान

आवश्यकता नहीं है।



अभिषेक बराला

Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.

Bilaspur

माईनिंग एन IBN नामपुर द्वारा अनुमोदित

आवश्यकता नहीं है।



अभिषेक खन्ना

Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.

Bilaspur

Sales Manager
Bilaspur
Gulf Oil Corporation Ltd.

अधिकृत हस्ताक्षर


किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिग्रहण नहीं किया जाना है। अतः आवश्यकता नहीं है।

अध्यापन पत्र

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अजुआर)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

मैजरीन (एक्सप्लोसिव गोदाम)

गलक ऑयल कार्पोरेशन

! - राज्य/संघ शासित क्षेत्र

छत्तीसगढ़

!! - जिला

रायपुर

!!! - वन प्रभाग

लिया

iv - वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.) - 4 हेक्टेयर

v - वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित वन कक्षा क्र 41

vi - हरियाली का घनत्व

0.4 से 0.6

vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंघाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक.आर.एल.एक.एक.आर.एल.-2मी. पर परिगणना और एक.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।

आवश्यकता नहीं है।

viii भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

आवश्यकता नहीं है।

ix वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

आवर्तित क्षेत्र वन भूमि में ही स्थित है।

x क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, बाघ, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वाहन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जाए)

आवर्तित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।

xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

नहीं

नहीं

2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि हाँ तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।

आवेदक संस्था द्वारा भाग की वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

3. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।

आवेदक संस्थान को वर्ष 1970 में 30 वर्षों के लिए लीज पर वन भूमि दिये गये थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होने के पूर्व ही गोदाम निर्माण का कार्य किया गया था।

4. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रतिपूरक वनीकरण आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि के बदले उपलब्ध कराई गई निजी भूमि में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थान	खसरा नंबर	रकबा
1	ग्राम उखलापुर प.ह.नं. 43 जिला बरेली	90/1,	0.800
		90/2	0.500
		90/3	0.270
		137/1	1.230
		137/2	0.900
		117	0.300
			4 है.
	योग:-		

! प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिवर्धित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता है।

.....संलग्न है।

!! रीति की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायन्वयन एजेंसी समय अनुसार संलग्न होना चाहिए।

रीति प्रजातियाँ - मिश्रित।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण - 10 वर्षीय।

!!! प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना।

लगत रूप से :-

iv प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिवर्धित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

.....संलग्न है।

6. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम 7(xi,xii) और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।

आवेदित भूमि में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नष्ट पायी जाती तथा कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं तथा आवेदक संस्था द्वारा मांग की गई वनभूमि आवश्यकता परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।

7

विभाग/जिला प्रकाशित

! रायपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र

रायपुर जिले की भौगोलिक स्थिति - 226 वर्ग कि.मी.

!! जिले का वन क्षेत्र

रायपुर जिले का वन क्षेत्र - 12.74 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन,

18.59 वर्ग कि.मी. नारंगी क्षेत्र।

!!! मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लगाया गया

कुल वन क्षेत्र।

निरंक

राष्ट्रिय वन संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय वन संरक्षण विभाग
(स.स.)

१

राष्ट्रिय वन संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय वन संरक्षण विभाग
राष्ट्रिय वन संरक्षण विभाग

दिनांक :- ०५/०५/१६
स्थान :- रायपुर

व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
पूर्ण कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त वन भूमि को
लागू होने के पूर्व ही वन भूमि पर गोदाम निर्माण का कार्य
श्री। वन भूमि पर निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम १९८०
वर्ष के लिए लीज पर गलत अंशजल कार्पाइजेशन को दी गई
संज्ञान एक्सप्लोसिव गोदाम के निर्माण हेतु वर्ष १९७० में ३०
में उक्त वन संरक्षक की विशेष सिकाइश
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव का अन्वया लेने के संबंध

vi

निरंक

(ख) वनेतर भूमि पर।

निरंक

(क) वन भूमि

तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

v

निरंक

ख. वनेतर भूमि पर

निरंक

१९८० से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक
क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

iv

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनसंरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन
- परियोजना का नाम :- सैजीन (एक्सप्लोसिव) गोदाम निर्माण
 - आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
 - गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग :- सैजीन (एक्सप्लोसिव) गोदाम निर्माण
 - आवेदित क्षेत्र की स्थिति

जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल	रकबा
रायपुर	रायपुर	आरक्षित वन खण्ड बिजाड़ी	4.00 है.
		कक्ष क्रमांक 10/1/41	

आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार :- मिश्रित

साईट फ्यालिटी :- IV (B)

घनत्व :-

- आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :- निरंक
- आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :- निरंक
- आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणाँ में) मुख्य मार्ग (पीडब्ल्यूडी/वनमार्ग आदि)
- जिस स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें :- आवश्यकता नहीं है। क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र :- नहीं।
- (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत है। अथवा नहीं। यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रविष्टित करें।
- आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प:- आवश्यकता नहीं है। के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणाँ में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बताव एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
- आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं। तो संक्षिप्त विवरण देवे।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व वर्ष 1970 में गल्फ ऑयल कार्पोरेशन द्वारा रायपुर जिले के विन्दा विकासखण्ड के आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 10/1/41 के अंतर्गत 4.000 है. भूमि लीज पर

मध्य प्रदेश
राज्य सरकार, रायपुर
राज्य सरकार के द्वारा

दिनांक :- 21/8/78
लक्ष्मी

उपरोक्त जानकारी/विवरण से द्वारा किये गये मौलिक शिक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैरवाणिज्यीक प्रयोजन हेतु अनुशासना की जाती है।

कृपया पत्र

ली गई थी। जीव प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान द्वारा भोजन रखे जाने हेतु गोदाम का निर्माण किया गया। किन्तु संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद राज्य/भारत सरकार से विहित अनुमति प्राप्त नहीं की गई, तथा उक्त आरक्षित वन भूमि को अपने पास रखते हुए उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी अधिकारी
मुख्य वन संरक्षक
(अ.ग.)

दिनांक :- 21/6/17
स्थान :- रायपुर

आज्ञा की जाती है।

कार्यों के साथ विशेष सिकांरिष्टों।

13. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत सहमत है।

सुझावों से सहमत है।

12. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के स्वीकृत किये जाने हेतु सहमत है।

क्षेत्र पर कोई वृक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में एक.सी.ए. के तहत प्रकरण विधिवत राज्य/केन्द्र शासन से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। आवेदित संरक्षण अधिनियम के प्रभावशील होने के उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा पर मैजलीन एक्सप्लोसिव गोदाम का निर्माण किया जा चुका था। वन संयुक्त रूप से किया गया। आवेदित क्षेत्र में वर्ष 1980 के पूर्व ही वन भूमि में द्वारा आवेदित वन भूमि का निरीक्षण दिनांक 21/6/17 को

प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

11. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ हो तो निरीक्षण की तारीख और किए गए

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

भाग-3

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

ऐतिहासिक स्थल प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd के मैजीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी. अंतर्गत कोई भी ऐतिहासिक स्थल नहीं है।



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वनमण्डलाधिकारी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

रायपुर वनमण्डल, रायपुर
वनमण्डल अधिकारी

₹

रायपुर जिले एवं रायपुर वनमण्डल के अंतर्गत कुल आरक्षित
वन 12.74 वर्ग कि.मी. एवं नारंगी क्षेत्र (असीमांकित संरक्षित वन)
18.59 वर्ग कि.मी. है।

जिले की कुल वन भूमि

राष्ट्रिय वनमण्डल, रायपुर
वनाधिकारी

§

— निरंक —

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत
प्रकारणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा है. में

राष्ट्रिय वनमण्डल, रायपुर

वनामण्डल अधिकारी

(६)

—निरंक—

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणां में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा है. में।

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थल प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd के मैजीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के 10 कि.मी. अंतर्गत कोई भी वन्य प्राणी अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान स्थल नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

वनमण्डलाधिकारी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर



इस वन मंडलाधिकारी
रायपुर उपवनमंडल
रायपुर (छ.ग.)



15 कि.मी. पश्चिम के तट पर खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चित्रांकन

आवश्यकता नहीं है।



अधिकृत हस्ताक्षर

Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं।


अभिषेक वसिष्ठ
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur


वन मुख्याधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर


वन वन मुख्याधिकारी
रायपुर उपवनमंडल
रायपुर (ब.अ.)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार प्रत्यक्षा में जा करने का

वचन पत्र।

संलग्न।

अभिषेक कुमारका

Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur

₹

प्रत्यक्षा शृङ्खला वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Gulf Oil Corporation Ltd के मैनेजर (एक्सलूसिव गोदाम) निर्माण हेतु भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा प्रत्यक्षित एवं मविष्य में प्रत्यक्षित की जाने वाली सभी प्रकार की शर्तें मान्य की जावनी एवं प्रत्यक्षा शृङ्खला को राशि देने हेतु हम सहमत हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Sales Manager

Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur

रायपुर वनमण्डल, रायपुर

वनमण्डलाधिकारी

30 वन मंडलाधिकारी
रायपुर उपवनाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

Clearance under FC Act 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA:
Remittances to precede 2nd stage clearance

प्रथम चरण के स्वीकृति के पश्चात शासन द्वारा जो राशि मांग की जावेगी उसे द्वितीय चरण के स्वीकृति के पूर्व Ad-CAMPA में हमारे द्वारा जमा की जावेगी।


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur


श्री वन मंडलाधिकारी
रायपुर उपमहानिगम
रायपुर (छ.ग.)


वन मंडलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

“A detailed note on Soil Productivity or the lack of it”

आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur



वन मण्डलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर



आ वन मंडलाधिकारी
रायपुर उपवनांकल
रायपुर (छ.ग.)



परिचालना की किसी भी प्रकार की गति में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व ही हमारे द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur

वन मण्डलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर
(छ.ग.)

वन मण्डलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

Diversion of Large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purpose under the Forest (Conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

इस परियोजना के अंतर्गत कुल 500 हे. से कम वन्यजीव का अपवर्जन किया जाना है, अतः उपरोक्त शर्त इस परियोजना पर लागू नहीं होता है।


अभिषेक वर्मा
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur


बिलसपुर जिला वन अधिकारी,
बिलसपुर


यु वन अधिकारी
बिलसपुर जिला वन अधिकारी
बिलसपुर (स.रा.)

पंजीयन कमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

आवेदक संस्थान का पंजीयन कमांक 2015/011, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जी.डी. कमांक 359251 दिनांक 04.02.2015 रु. 35000.00 इस कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

पंजीयन अधिकारी
रायपुर वनमण्डल, रायपुर

रायपुर वन मण्डल
रायपुर उपमंडल
रायपुर (छ.ग.)

डा. वल. मंडलानिकोटी
 रायपुर उपवनमंडल
 रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, महाराष्ट्र रायपुर
 उपवनमंडल
 डा. वल. मंडलानिकोटी

आवश्यकता नहीं है।

(व्यपारी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)
 व्यपारी परियोजना पर प्रधान मंत्री वन संरक्षक

डा. वल. भट्टाचार्य
 रायपुर उपबन्धन
 रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, उपबन्धन, रायपुर
 रायपुर, उपबन्धन, रायपुर

आवश्यकता नहीं है।

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे
 स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प
 में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण

Authorised Signatory
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.,
Bilaspur (C.G.)

(R.K. Singh)



We take this opportunity to introduce ourselves as the leading and renowned manufacturer of industrial explosives in the country serving explosives industry. Since more than four decades with its quality products.

Our commercial explosives Division is the country's Largest explosives and detonators manufacturing facilities (8 plants) around India its Hyderabad plant is the largest detonators facility in the world (192 million per annum) the cartridge explosives are manufactured as Rourkela.

We have magazines at Tilda, Village-Biladi for storage of explosives and accessories and as per required of the mines in C.G.

Storage and dispatches is done as per prescribed rules and regulation of PESO, Govt. of India, explosive department. More over we never manufactured any explosive in the proposed area not we plan to do the same. we can use magazine only for storage and dispatch to mines requirement as per prescribed rules and regulation of PESO Govt. of India explosive department.

Justification of the Project



GULF OIL CORPORATION LTD.
Flat No. D-202, IInd Floor, Shri Sai Parisar, Behind Shri Sai Manglam,
Shrikant Verma Marg, Vyapar Vihar, Bilaspur 495001 (C.G.)
Ph. No. : 07752-262426, CIN No. L24292TG1961PLC000876
E-mail : bilaspur@idlind.com, rakeshkumarsingh@idlind.com



Gulf Oil Corporation Limited

Corporate Office

Kukatpally, Post Bag No. 1, Sanathnagar (E) P.O.
Hyderabad 500018 Andhra Pradesh, India
T +91 (40) 23810571-9
F +91 (40) 23813860, 23700747
E info@gulfoilcorp.com
W http://www.gulfoilcorp.com

January 29, 2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, S.Pramanik, Managing Director of Gulf Oil Corporation Limited, Hyderabad, by virtue of the powers vested in me by the Board of Directors, do hereby delegate and authorize Mr Rakesh Kumar Singh, Sr. Deputy Manager (Marketing - Bilaspur Area), Chhattisgarh of IDL Explosives Limited, a 100% subsidiary of our Company to appear before the Enquiry Officer, Department of Forests, Raipur Forest Range, Raipur Chhattisgarh or before any other Officer(s) of the Department of Forests, Chhattisgarh and sign application, documents or do such all other things as may be necessary in relation to the forest land admeasuring 10 acres leased to the Company situated at Biladi, Duddha Development Block, Tilda Raipur Forest Area.

The signature of Mr Rakesh Kumar Singh appearing on this document is attested by me.

for Gulf Oil Corporation Limited
(S.Pramanik)
MANAGING DIRECTOR

Attested: _____

(Rakesh Kumar Singh)

R.K.Singh
Authorised Signatory
Sales Manager
Gulf Oil Corporation Ltd.
Bilaspur (C.G.)

Registered Office : Kukatpally, Post Bag No. 1, Sanathnagar (E) P.O. Hyderabad 500 018
Formerly IDL Industries Limited
CIN: L2422AP1951PLC000876